न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी -दो/16

राजमुहम्मद तनय स्व0 श्री अली मुहम्मद सिद्दकी निवासी वार्ड नम्बर 12, गलान रोड, हरपालपुर तहसील नौगांव, जिला जिला छतरपुर म0प्र0

.........निगरानीकर्ता

विरूद्व

1-मु0 हनीफ तनय स्व0 अली मुहम्मद सिद्दकी

2-नासिर तनय स्व0 श्री अली मुहम्मद सिद्दकी

मृत वारिसान

अ-तसलीम बेगम बेवा स्व0 नासिर सिद्दकी

ब-रौसीन तनय स्व0 नासिर सिद्दकी(नाबालिग)

स-अरसद तनय स्व0 नासिर सिद्दकी(नाबनालिग)

दोनो नाबालिग वलीपरस्त मां श्रीमती तस्लीम बेगम पत्नी स्व0 नासिर सिद्दकी

3-मुहम्मद जाकिर तनय स्व0 अली मुहम्मद सिद्दकी

4-अमीरी बेगम बेवा स्व0 अली मुहम्मद सिद्दकी

5-श्रीमती कमरूननिशा पुत्री स्व0 अली मुहम्मद

6- श्रीमती नजरूननिशा पुत्री स्व0 अली मुहम्मद

..................गैरनिगरानीकर्तागण

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमाक 564/।।/2016 निगरानी **जिला छतरपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–2–2016	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड उपस्थित। अनावेदकगण/कैवियेटकर्ता के अधिवक्ता श्री विजय यादव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 351/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 3.2.2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक राज मुहम्मद तनय स्वं0 अली मुहम्मद सिद्धीकी ने म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत तहसीलदार नौगांव के समक्ष मौजा नाउपहारिया तहसील नौगांव स्थित भूमि खसरा नम्बर 307/1 का जुज रकवा 0.025 आरे जिसका एक किता प्लाट 40X40 वर्गफुट दूसरा प्लाट 26.6 X40 वर्गफुट पर बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार नौगावं ने प्रकरण कमांक 94/अ–6/2012–13 पंजीवद्ध किया तथा बसीयतनामा के आधार पर बसीयतकर्ता के स्थान पर आवेदक बसीयतग्रहीता का आदेश दिनांक 29.5.2014 से नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के समक्ष	

अपील प्रस्तुत की। जिसे प्र0क0 43/अपील/2013–14 पर दर्ज करते हुये, आदेश दिनांक 28.1.2016 से अनावेदकगण की अपील स्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 351/अ–6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 3.2.2016 से आवेदक की अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होंकर, यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से परिलक्षित है कि विवादित भूमि स्वं0 अली मुहम्मद सिद्धीकी निवासी वार्ड न. 12 हरपालपुर जिला छतरपुर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी स्वं0 अली मुहम्मद सिद्धीकी जो कि आवेदक राज मुहम्मद के पिता होकर अध्यापक थे, उनके द्वारा तहसील कार्यालय प्रांगण में दिनांक 26.4.2011 को साक्षीगण नसीम एंव राजनाथ सोनी के समक्ष बसीयतनामा लेख कराया गया था एंव उनके द्वारा स्वंय पढकर बसीयतनामा पर स्वंय हस्ताक्षर किये थे। अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के न्यायालय में जो आपत्तियां प्रस्तुत की है उनमें मुख्य आपत्ति मुस्लिम विधि के अनुसार सभी वारसान के पक्ष में नामान्तरण किये जाने की मांग की गई है। इस सम्बंध में मुस्लिम विधि के अनुसार भारत में मुस्लिम दो संप्रदाय में है (1) शिया (2) सुन्नी । स्वं0 अली मुहम्मद सुन्नी मुस्लिम विधि से शासित

थे, यह स्वंय आवेदक एंव अनावेदकगण द्धारा लेख कराया गया है, लेकिन जो आपत्ति अनावेदकगण/आपत्तिकर्तागण द्धारा ली गई है, वह शिया संप्रदाय में मान्य है इस संबध में मुस्लिम बसीयत अधिकार अधिनियम की धारा 58 में मुसलमानों को बसीयत का अधिकार दिया गया है तथा शराय उल इस्लाम नामक पुस्तक में बसीयत के संबध में विस्तृत विवरण दिया गया है, किन्तु यह विधान विशेष रूप से शिया मुसलमानों से संबंधित है।

4/ आवेदक के अधिवक्ता द्धारा न्याय दृष्टान्त रामजीलाल बनाम अहमद ए.आई.आर. 1952 मध्य भारत 56 की ओर ध्यान आकर्षित कराया जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि " मुस्लिम बसीयत यदि लिपिबद्ध किया जाता है तो भी उस पर बसीयतकर्ता के हस्ताक्षर एंव अनुप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।" मुस्लिम द्वारा अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व अपनी संपत्ति के अंतरण के प्रति एक पक्ष में निर्देश दिया जिसे न्यायालय ने वैध बसीयत माना। यह सिद्धान्त "मजहर हुसैन बनाम बांधा बीबी (1998) 21 इलाहाबाद 91 में प्रतिपादित किया गया " तथा माननीय म0प्र0 हाईकोर्ट द्वारा इसी प्रकार घोषणा कर वैध करार दिया जो " अब्दुल हमीद बनाम मोहम्मद युनुस प्रकरण में (1940) मद्रास ला जर्नल 273 में प्रतिपादित किया गया।

(1) **शिया मुसलमानों में बसीयत के सिद्धान्त और सुन्नी मुसलमानों के विधान में काफी अन्तर है। शिया मुसलमान**

अपनी संपत्ति का 1/3 भाग की बसीयत कर सकता है किन्तु एक तिहाई से अधिक अंश की बसीयत करता है तो उसे अन्य उत्तराधिकारियो की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(2) (गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम हुसैन ए0आई0आर0 1932 (प्रिवी कौंसिल) 81) उपरोक्त न्याय दृष्टांतो के आलोक में मुस्लिम सुन्नी सम्प्रदाय में बसीयतकर्ता को बसीयत में अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत शिया सम्प्रदाय में सहमति आवश्यक है।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निम्न न्याय दृष्टांतो के प्रकाश में निगरानी स्वीकार किये जाने को अनुरोध किया गया।

5/ कैवियेटकर्तागण के अधिवक्ता ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाकर आवेदक की निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया।

6/ विचार योग्य यह है कि, मृतक (बसीयतकर्ता) अली मुहम्मद सिद्धीकी तनय स्वं0 अब्दुल सिद्धीकी सुन्नी मुस्लिम विधि से शासित थे, जहां तक मुस्लिम सुन्नी सम्प्रदाय में बसीयतनामा पर से नामान्तरण किये जाने का प्रश्न है वहॉ पर अन्य उत्तराधिकारियो की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। जिसके कारण तहसीलदार नौगांव ने प्रकरण कमांक 94/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.5.2014 से बसीयतनामा के आधार पर बसीयतकर्ता के स्थान पर बसीयतग्रहीता (आवेदक) का नामान्तरण करने यावत् आदेश देने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, नौगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.1.2016 तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 351/अ– 6/2015 –1 6 में पारित आदेश दिनांक 3.2.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है। फलतः तहसीलदार नौगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.5.2014 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता हैं।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर